AADHAAR

DAINIK JAGRAN, Ghaziabad, 24.8.2018

Page No. 2, Size:(11.80)cms X (13.57)cms.

# आधार नहीं है फिर भी मिलेगा योजनाओं का लाभ

**राज्य ब्यूरो, लखनऊ :** आधार नंबर न होने के बावजूद अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल सकेगा। सरकार ने आधार के विकल्पों का आदेश जारी कर दिया है। इन विकल्पों को अपनाकर अब विभाग की योजनाओं के आवेदन किए जा सकेंगे। सरकार अल्पसंख्यकों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वे अपना आधार कार्ड जरूर बनवा लें।

अभी तक अल्पसंख्यक कल्याण की छात्रवृत्ति व पुत्री शादी अनुदान योजना में आवेदन के लिए आधार नंबर जरूरी होता था लेकिन, अभी बहुत लोगों के पास आधार नंबर नहीं है। इस कारण वे इन योजनाओं में आवेदन ही नहीं कर पाते थे। अब सरकार ने आधार नंबर के विकल्प भी मुहैया करा दिए हैं। जिनके पास आधार नंबर नहीं हैं वे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, विभागीय पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या फिर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोई अन्य विशिष्ट दस्तावेज भी लगा सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को आधार की आवश्यकता एवं उसके लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। जहां भी आधार पंजीकरण की सुविधा नजदीक में नहीं है वहां विभाग आधार बनवाने के लिए कैंप लगवा सकता है।